न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 57 / 2025	2025 / 237	28.04.2025	04.06.2025

1– Zenflex Inframart Llp Address H.No A-16, S/f Shivalik Colony Arvindo College, Malviya Nagar (South Delhi)South New Delhi 110017 जरिये अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता जीतसिंह पुत्र वेदराम जाति गुर्जर निवासी ई–19 प्रथम , ई–स्टेट फलोर्स कादरपुर गुरूग्राम हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 30.09.2024 नामान्तकरण संख्या 2257 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सुरजभान भडाणा –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2257 निर्णय 30.09.2024 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी हाल खसरा न0 922 / 0.6800 है0 का 49 / 162 भाग वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। आराजी गजराजसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, गजराज सिंह ने अपनी आराजी बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट के हक में बेंचान कर दिया। बयनामा दिनाक 08.08.2024 तहरीर व तकमील होकर दिनाक 20.08.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 613 में पृष्ठ संख्या 177 क्रंम संख्या 202403359101502 पर पंजिबद्व किया गया। जिसका शुर्दीपत्र दिनाक 02.09.2024 को तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया गया। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 2257 दिनाक 02.11.2024 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया, जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि पटवारी हल्का द्वारा दो अलग–अलग के स्थान पर एक म्यूटेशन भरने के कारण अस्वीकार किया जाता है। मिन अपीलान्ट द्वारा बयनामा वास्ते नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को दिया तथा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 2257 में केवल बेचान का ही नामान्तकरण दर्ज था कोई अलग–अलग नामान्तकरण नही था, लेकिन गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। यदि पटवारी हल्का द्वारा दूसरा नामान्तकरण स्वीकृति हेतु भेजा गया था, तो उसमें मिन अपीलान्ट का कोई लेना देना नही है, मिन अपीलान्ट द्वारा अपने बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराना चाहा था जिसे बेजा रूप से खारिज किया गया है। नामान्तकरण के लिए बयनामा एक मात्र दस्तावेज होता है, अन्य कोई नामान्तकरण नही था, लेकिन तहत अदालत

द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपना जाप्ता सही रूप काम में नही लिया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 15.04.2025 को हुई जब पटवारी हल्का से असल बयनामा लेने गया जिस पर दिनाक 15.04.2025 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की जिससे अपील अपीलान्ट साधारणतया अन्दर अवधि पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पृथक से संलग्न कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.09.2024 नामान्तरण संख्या 2257 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास को निरस्त किया जावे।

हमने पंत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2257 निर्णय दिनांक 30.09.2024 ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 24.04.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 6 माह चौबीस दिवस पश्चात पेश की गयी है, जो विलम्ब से पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.09.2024 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 15.04. 2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी हाल खसरा न0 922/0.6800 है0 का 49/162 भाग वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। आराजी गजराजसिंह पुत्र जगतसिंह जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, गजराज सिंह ने अपनी आराजी बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट के हक में बेंचान कर दिया। बयनामा दिनाक 08.08.2024 तहरीर व तकमील होकर दिनाक 20.08.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 613 में पृष्ठ संख्या 177 क्रंम संख्या 202403359101502 पर पंजिबद्व किया गया। जिसका शुर्दीपत्र दिनाक 02.09.2024 को तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया गया। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 2257 दिनाक 02.11.2024 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया, जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि पटवारी हल्का द्वारा दो अलग–अलग के स्थान पर एक म्यूटेशन भरने के कारण अस्वीकार किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2024 नामान्तकरण संख्या 2257 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)